योजना का सार

दृष्टिबाधितों के लिए शिक्षा

भूमिका

शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाना एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जिसके लिए कानूनी, संस्थागत एवं सामाजिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने से गरिमा, स्वतंत्रता एवं समान अवसर मिलते हैं जिससे भारत समावेशी विकास की ओर बढ़ रहा है।

शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण

- सशक्तिकरण तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचानते हैं और अपने भविष्य को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, शिक्षा सशक्तिकरण की नींव है जो स्वतंत्रता, आत्म-समर्थन एवं नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। यह निर्भरता के चक्र को तोड़ती है, रोजगार क्षमता बढ़ाती है और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देती है।
- भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और दिव्यांग व्यक्ति अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 इस दृष्टिकोण की आधारशिला हैं। दोनों समावेशी, बाधा-मुक्त शिक्षा पर जोर देते हैं और संवैधानिक एवं मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं।

कानूनी एवं नीतिगत ढांचा

- **RPwD अधिनियम, 2016:** यह समावेशी शिक्षा, पहुंच और उचित समायोजन को अनिवार्य करता है। धारा 16-17 के तहत स्कूलों को पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और सहायक प्रौद्योगिकियां प्रदान करने की आवश्यकता है।

- **NEP 2020:** दृष्टिबाधित छात्रों का समर्थन करने के लिए बाधा-मुक्त पहुंच, पाठ्यक्रम समायोजन और व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण का आह्वान करता है।
- **भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) अधिनियम, 1992:** विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रमाणन को नियंत्रित करता है जिससे दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए व्यावसायिक सहायता सुनिश्चित होती है।

प्रमुख सरकारी योजनाएँ

- **समग्र शिक्षा अभियान:** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए मूल्यांकन, सहायता प्रदान करने और विशेष शिक्षकों के माध्यम से प्री-प्राइमरी से कक्षा XII तक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है।
- **RPwD अधिनियम कार्यान्वयन योजना (SIPDA):** राज्यों और संस्थानों को बाधा-मुक्त बुनियादी ढांचे, कौशल प्रशिक्षण और सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS):** दृष्टिबाधित व्यक्तियों के समुदाय-आधारित पुनर्वास के लिए गैर-सरकारी संगठनों और विशेष स्कूलों को धन देती है।
- **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां:** वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए पोस्ट-मैट्रिक और व्यावसायिक शिक्षा का समर्थन करती हैं।
- **दिव्यांग व्यक्ति सहायता एवं उपकरण खरीद/फिटिंग सहायता (ADIP) योजना:** वर्ष 1981 से सक्रिय और 2024 में संशोधित यह योजना स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए ब्रेल किट, स्मार्ट केन, सुलभ मोबाइल फोन और गतिशीलता सहायता प्रदान करती है।
- **दिव्यांग व्यक्ति कौशल विकास राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-SDP):** कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से प्रशिक्षण, मेंटरशिप

एवं प्लेसमेंट समर्थन के साथ 2.5 मिलियन दिव्यांग व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य है।

संस्थागत सहायता

- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विज़ुअल डिसेबिलिटीज (NIEPVD), देहरादून: यह अकादमिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है, ब्रेल सामग्री बनाता है और अनुसंधान करता है। इसने 2024 में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए, जिससे STEM क्षेत्रों में समावेशन को बढ़ावा मिला।
- NCERT की पहल: दीक्षा (DIKSHA) एवं पीएम ई-विद्या (PM e-Vidya) के ज़रिए एन.सी.ई.आर.टी. DAISY-फॉर्मेट की पाठ्यपुस्तकें, ऑडियोबुक, टैक्टाइल विज़ुअल व शिक्षक प्रशिक्षण संसाधन प्रदान करता है। बरखा रीडिंग सीरीज़ और सुलभ ई-कंटेंट यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का उदाहरण हैं।

समावेशी शिक्षा के लिए मुख्य समर्थन

- **सुलभ शिक्षण सामग्री:** स्टैंडर्ड प्रिंट फॉर्मेट दृष्टिबाधित सीखने वालों को शामिल नहीं करते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार DALM प्रोजेक्ट (डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल) के तहत ब्रेल, टैक्टाइल, ऑडियो और डिजिटल फॉर्मेट प्रदान करती है जो SIPDA के तहत 2014-15 की ब्रेल बुक्स योजना का एक विकसित रूप है।
- **2015-16 से:** 115 करोड़ से ज़्यादा ब्रेल पेज बनाए गए, जिससे देश भर में 25 लागूकर्ता एजेंसियों के माध्यम से 1.58 लाख छात्रों को फायदा हुआ।

- **सहायक तकनीक:** सहायक तकनीक विज़ुअल डेटा को टैक्टाइल, श्रवण योग्य या बड़े फॉर्मेट में बदल देती हैं जिससे पढ़ना, लिखना व संवाद करना संभव होता है। उपकरणों में ब्रेल डिस्प्ले, OCR टूल, मैग्निफायर, AI-संचालित रीडिंग एड्स एवं स्मार्ट केन शामिल हैं। ADIP योजना (2024 में संशोधित) के तहत आधुनिक उपकरण प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं जिससे पुनर्वास और रोज़गार की क्षमता बढ़ती है।
- **योग्य शिक्षक:** RPwD अधिनियम की धारा 17(c) में ब्रेल और मल्टीसेंसरी निर्देश में प्रशिक्षित शिक्षकों को अनिवार्य किया गया है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) पाठ्यक्रम विकसित करता है, प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देता है और योग्य पेशेवरों के लिए सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर (CRR) बनाए रखता है।
- **बाधा-मुक्त बुनियादी ढांचा:** समावेशी परिसरों में रैंप, हैंडरेल, टैक्टाइल पेविंग, ऑडियो संकेत एवं ब्रेल साइनेज होने चाहिए। सुगम्य भारत अभियान (एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन) शैक्षिक स्थानों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देता है।
- **अमूर्त समर्थन:** सामाजिक एवं भावनात्मक समर्थन सहानुभूति-आधा_रित कक्षाएं, साथियों के साथ बातचीत एवं परामर्श अलगाव व कलंक का मुकाबला करते हैं। DEPwD द्वारा जागरूकता सृजन और प्रचार (AGP) योजना संवेदीकरण व समावेशन को बढ़ावा देती है जिससे छात्रों में आत्मविश्वास तथा अपनेपन की भावना बढ़ती है।
- **कानूनी एवं संस्थागत निगरानी:** दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त का कार्यालय (CCPD) RPwD अधिनियम का पालन सुनिश्चित करता है और पूरे भारत में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यह एक्सेसिबिलिटी से संबंधित मुद्दों के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है।

हाल के घटनाक्रम

- RPwD अधिनियम, 2016 लागू किया गया, जो कानूनी रूप से समावेशी शिक्षा को अनिवार्य बनाता है।
- डिजिटल समावेशन के लिए DEPwD द्वारा यूनिकोड-मैप्ड ब्रेल कोड लॉन्च किए गए।
- DALM प्रोजेक्ट (2023 अपडेट) का विस्तार किया गया जिसमें टॉकिंग बुक्स, ई-पब एवं बड़े-प्रिंट फॉर्मेट शामिल हैं।
- NIEPVD के मॉडल स्कूल में विज्ञान स्ट्रीम की शिक्षा शुरू की गई (2024)।
- RCI द्वारा ओरिएंटेशन और मोबिलिटी (O&M) प्रशिक्षण को मजबूत किया गया।
- संशोधित कौशल विकास पाठ्यक्रम और नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत।
- उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजनाओं का शुभारंभ।
- दृष्टिबाधित छात्रों के लिए लचीले मूल्यांकन दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए।

आगे की चुनौतियाँ

- प्रगतिशील कानूनों और नीतियों के बावजूद इन क्षेत्रों में समन्वय की कमियाँ
- बुनियादी ढाँचे और शिक्षकों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताएँ
- शिक्षकों और साथियों के बीच सीमित जागरूकता
- ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सहायक प्रौद्योगिकियों तक अपर्याप्त पहुँच
- सामाजिक कलंक और भावनात्मक अलगाव
    - इन कमियों को पाटने के लिए निरंतर निवेश, तकनीकी नवाचार और सामाजिक संवेदीकरण की आवश्यकता है।

रचनात्मकता एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा

भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 रटने की बजाय छात्रों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता एवं समस्या-समाधान पर ज़ोर देती है। चूँकि भारत ने विकसित भारत @2047 के तहत एक नवाचार-आधारित ज्ञान अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है अत: शिक्षा को नवाचार एवं राष्ट्र निर्माण की नींव बनना चाहिए।

उद्योग 5.0 के लिए तैयारी

- AI, रोबोटिक्स एवं मशीन लर्निंग में तेज़ी से हो रही प्रगति के साथ शिक्षा को उभरती उद्योग की मांगों के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। वर्ष 2047 के संस्थानों को अंतर-विषय सीखने, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए।
- संस्थानों के भीतर नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने से छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्या-समाधान क्षमताओं के साथ सशक्त बनाया जाएगा।

AICTE की नवाचार पहल

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) निम्नलिखित के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देती ह-
  - **स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (SIH) :** दुनिया का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल है जिसमें 15 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हैं।
  - **KAPILA (कलाम IP साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम) :** पेटेंट फाइलिंग में 247% की वृद्धि हुई।

- **संस्थानों की नवाचार परिषदें (IICs) :** पूरे भारत में 16,300 से ज़्यादा परिषदें नवाचार संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं।
- **राष्ट्रीय नवाचार एवं स्टार्टअप नीति (NISP) :** उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 3,000 से ज़्यादा संस्थानों द्वारा अपनाई गई।
- **AICTE नवाचार केंद्र :** अनुसंधान सहयोग और IP व्यावसायीकरण के लिए केंद्र।

➢ ये पहलें शैक्षणिक संस्कृति में रचनात्मकता को शामिल करती हैं, व्यावहारिक शिक्षा और तकनीक-संचालित समाधानों को बढ़ावा देती हैं।

स्कूल स्तर पर नवाचार

राष्ट्रीय स्कूल नवाचार प्रोत्साहन नीति 1.5 मिलियन स्कूलों में 250 मिलियन छात्रों के बीच समस्या-समाधान और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देती है।

मुख्य पहलें

➢ **स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रशिक्षण कार्यक्रम (SIATP):** 14,120 स्कूलों के 26,800 शिक्षकों को निम्न 5 क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया- (1) डिज़ाइन थिंकिंग, (2) आइडिया जेनरेशन, (3) उद्यमिता, (4) IPR (5) वित्त और HR

➢ **स्कूल इनोवेशन काउंसिल (SICs):** 20,000 से ज़्यादा स्कूलों में स्थापित, स्थानीय समस्या-समाधान को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा एवं उद्योग से जुड़ना।

➢ **डिज़ाइन थिंकिंग और इनोवेशन (DTI) मॉड्यूल:** स्कूलों के लिए दुनिया का पहला संरचित DTI मॉड्यूल; 2,400 स्कूल और 1.3 लाख छात्र नामांकित। डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा

- SWAYAM जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिज़ाइन थिंकिंग एवं बौद्धिक संपदा अधिकार पर संरचित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जिससे नवाचार युक्त शिक्षा तक सबकी पहुँच आसान हो गई है।
- AICTE, MIC व DoSEL द्वारा इनोवेशन डिज़ाइन एवं एंटरप्रेन्योरशिप (IDE) बूटकैंप ने 40 से अधिक स्थानों पर स्कूलों में 9,692 तथा हायर एजुकेशन में 10,000 से ज़्यादा भागीदारों को प्रशिक्षण दिया, जिससे उन्हें हैंड्स-ऑन अनुभव, मेंटरशिप और उद्योग जगत से जुड़ने का मौका मिला।

एक नए शैक्षिक युग की ओर

ये सामूहिक प्रयास शिक्षा के सभी स्तरों पर एक नवाचार-आधारित अकादमिक पारितंत्र को आकार दे रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों के साथ मिलकर नवाचारियों (इनोवेटर्स), समस्या-समाधानकर्ता (प्रॉब्लम-सॉल्वर्स) और उद्यमियों (एंटरप्रेन्योर्स) की एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। इस तरह शिक्षा को 'नवाचार के लिए शिक्षा' के रूप में फिर से परिभाषित किया जा रहा है जिसमें केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि निर्माण करना, प्रयोग करना और इनोवेशन करना शामिल है।

सिनेमा एवं भारतीय समाज

भूमिका

- सिनेमा को प्राय: सातवीं कला कहा जाता है। भारत में सिनेमा एक प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता है जो लोगों के विचारों को आकार देता है, सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करता है और क्षेत्रों व वर्गों में विविधता को दर्शाता है।

- इसकी व्यापक पहुँच इसे जागरूकता, सामाजिक सुधार एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सहायक बनाती है किंतु यह रूढ़िवादिता, संस्कृति के व्यावसायीकरण व सामाजिक पूर्वाग्रहों को भी मजबूत कर सकता है।

भारतीय सिनेमा का सकारात्मक प्रभाव

1. **भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान :** RRR एवं द एलिफेंट व्हिस्परर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय सफलताओं ने भारत की वैश्विक सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा दिया है और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा दिया है।
2. **भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब:** भारतीय सिनेमा क्षेत्रीय परंपराओं, सौंदर्यशास्त्र और रीति-रिवाजों को प्रदर्शित करता है, जैसे-

- **डेढ़ इश्किया:** लखनऊ की नवाबी संस्कृति
- **पीकू:** बंगाली घरेलू और सांस्कृतिक लोकाचार
- **खूबसूरत:** राजस्थानी महल और विरासत

3. **बदलते पारिवारिक मूल्य:** 1960 के दशक में 'खानदान' जैसी फिल्मों में समाज की अपेक्षाओं एवं पितृसत्तात्मक मानदंडों से बने परिवारों को दिखाया गया। बाद के सिनेमा ने निम्नलिखित का अन्वेषण किया-

- **अवैधता:** मासूम, कल हो ना हो
- **विवाहेत्तर संबंध एवं तलाक:** कभी अलविदा ना कहना
- **छोटे परिवारों में भावनात्मक बंधन:** गुडबाय, जिसने अंतर-पीढ़ीगत अंतर और विकसित हो रही भावनात्मक अभिव्यक्ति पर प्रकाश डाला।

4. **महिला सशक्तिकरण और शिक्षा**

- **दुर्गा सोहाय (बंगाली):** इसमें नायिका लचीलेपन एवं शक्ति के प्रतीक के रूप में उभरती है जो देवी दुर्गा की भावना को प्रतिबंबित करती है।

- निल बटे सन्नाटा: यह शिक्षा को एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में प्रदर्शित करता है जिसमें एक माँ अपनी पुत्री को प्रेरित करने के लिए स्कूल लौटती (जाती) है।

5. सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में सिनेमा

- स्वास्थ्य एवं सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना
  - **पा:** दर्शकों को प्रोजेरिया से परिचित कराया।
  - **तारे ज़मीन पर:** समाज को डिस्लेक्सिया के प्रति संवेदनशील बनाया।
- **LGBTQ+ अधिकारों को आगे बढ़ाना:** 'फायर' एवं 'अलीगढ़' ने लैंगिक पहचान, गरिमा व मानवाधिकारों पर महत्वपूर्ण संवाद शुरू किया।
- **राष्ट्रवादी और नागरिक विचारों को प्रभावित करना:** 'मुथु' जैसी तमिल सिनेमा और 'स्वदेश' जैसी बॉलीवुड फिल्मों ने नागरिक जिम्मेदारी, राष्ट्रवाद एवं सामाजिक चेतना को मजबूत किया।

समाज पर सिनेमा के नकारात्मक प्रभाव

1. लैंगिक रूढ़िवादिता एवं मर्दानगी का अमर्यादित चित्रण

- आइटम सॉन्ग्स के माध्यम से महिलाओं का वस्तुकरण अभी भी प्रचलित है।
- 'कबीर सिंह' एवं 'एनिमल' जैसी फिल्में आक्रामकता व अस्वास्थ्यकर पुरुष व्यवहार का महिमामंडन करती हैं।
- 'हम तुम्हारे हैं सनम' और 'पुष्पा' जैसी फिल्मों में घरेलू हिंसा को तुच्छ बताया गया है।

2. **अवास्तविक बॉडी स्टैंडर्ड को बढ़ावा देना :** सिनेमा में प्राय: कास्टिंग में गोरी त्वचा को प्राथमिकता देना और बॉडी शेमिंग (जहाँ पतले व अधिक वज़न वाले दोनों तरह के लोगों का मज़ाक उड़ाया जाता है) जैसे चीज़ों को बढ़ावा देता है।

3. **पारंपरिक पारिवारिक संस्थाओं पर सवाल उठाना:** 'ओके जानू' जैसी फ़िल्में लिव-इन रिलेशनशिप व आधुनिक उदार मूल्यों को सामान्य बनाती हैं जो रूढ़िवादी पारिवारिक मानदंडों को चुनौती देती हैं।
4. **सांस्कृतिक मिश्रण और पसंद में बदलाव :** पश्चिमी नृत्य शैलियाँ (हिप-हॉप, जैज़) और पश्चिम से प्रेरित संगीत (रैप) का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह कभी-कभी कथक एवं भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय भारतीय परंपराओं पर हावी हो जाता है।
5. **कमज़ोर समुदायों का खराब प्रतिनिधित्व :** 'दोस्ताना' में LGBTQ+ पहचान का मज़ाक उड़ाया गया और 'गोलमाल' जैसी फ़िल्मों में विकलांगता (बोलने में दिक्कत, अंधापन, आदि) का मज़ाक उड़ाया गया।
6. **नशीली दवाओं के सेवन का महिमामंडन:** 'देव डी' जैसी फ़िल्में धूम्रपान, शराब पीने और ड्रग्स के इस्तेमाल को फैशनेबल या मुश्किलों से निपटने के तरीके के रूप में दिखाती हैं जो युवाओं के व्यवहार को प्रभावित करता है।
7. **राजनीतिक प्रचार एवं सामाजिक विभाजन:** कुछ फ़िल्में पक्षपातपूर्ण विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए भावनाओं और ऐतिहासिक शिकायतों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जिससे प्राय: सामाजिक एवं राजनीतिक विभाजन गहरा होता है।

निष्कर्ष

भारतीय सिनेमा जनसंचार का एक शक्तिशाली माध्यम बना हुआ है जो सामाजिक परिवर्तन लाने, सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने और सार्वजनिक चेतना को आकार देने में सक्षम है। फिर भी, रूढ़िवादिता, सनसनीखेज व राजनीतिकरण के मुद्दे अधिक नैतिक ज़िम्मेदारी की मांग करते हैं। रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सिनेमा भारत के सामाजिक ताने-बाने को मज़बूत करे, न कि उसे विकृत करे।